रायपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशनःरायपुर

निविदा–सूचना

(विद्युत विभाग)

कार्य का नामः– रायपुर शहर के अंतर्गत् स्थित सडकबत्ती सिस्टम को BOT (Built opration & Transfer) के आधार पर एनर्जी सेविंग डिवाइस तथा एनर्जी सेविंग फिटिंग्स लगाकर मेन्टेनेन्स करना। बदलना सहित समस्त कार्य।

Web site:- WWW.nagarnigamraipur .com

निविदा कर्ता होने की पात्रता–

निविदाकर्ता को एक उर्जा प्रबंधन कंपनी। संगठन होना चाहिए जो तकनीकी रूप से एवं व्यावसायिक रूप से एनर्जी सेविंग करने उनके मेजरमेन्ट करने एवं डिजाइन करने सहित समस्त कार्य की परियोजना टर्न–की बेसिस पर कर सके।

कार्यपालन अभियंता आयुक्त

<u>निविदा प्रस्तुत किए जाने का तरीका</u>

लिफाफा क्र. 01 (ई.एम.डी)

लिफाफे में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ‘‘लिफाफा क्र. 01’’ निविदा सूचना का क्रमांक एवं दिनांक जिसके अंदर अमानत राशि रू. 50000.00 जो कि डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. के स्वरूप में आयुक्त नगर पालिक निगम,रायपुर के नाम पर देय रहेगा।

लिफाफा क्र. 02 (दस्तावेज)

लिफाफा क्र.02 के उपर लिफाफा क्र.02 अंकित होगा जिसमें निविदा सूचना क्रमांक,दिनांक,कार्य का नाम एवं निविदाकर्ता का नाम और पता अंकित रहेगा। उसमें रखे गए समस्त दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

अ/ 40 वॉट की स्ट्रीट लाईट फिक्सचर्स जिन पोलों में स्थापित है,उनके मेन्टेनेन्स की कार्य योजना (प्रतिमाह में)

ब/ मेटल हैलाईड फिटिग्स/सोडियम फिटिंग्स (150 वॉट, 250 वॉट, 400 वॉट) के लैम्प,चोक इग्नेटर इत्यादि सहित प्रतिपोल आधार पर मेन्टनेन्स की योजना ।

एनर्जी सेविंग करने बाबत विवरण-

(1) इन्सटालेशन ऑफ LMS (Loading Monytering system)

(2) अनफिसियेन्ट ट्यूब लाईट फिटिंग्स एवं मेटल हैलाईड फिटिंग्स को इफिसिएन्ट फिटिंग्स में परिवर्तित करना। बदली गई इफिसिएन्ट फिटिंग्स लक्स लेवल पूर्व में स्थापित फिटिंग्स के अनुरूप मानक स्तर का होना चाहिए।

फायनेन्स के साधन-

निविदा कार की वित्तीय स्थित की वास्तविक जानकारी तथा पूंजी बाजार से ऋण लेने हेतु निविदाकर्ता को पिछले 3 वर्षों का बैलेन्स शीट संलग्न करना होगा।

अन्य फायनेन्सरों से फायनेन्स प्राप्ति के सपोर्ट में बैकर का पत्र ऋण सुलभ करने हेतु संलग्न करना होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाईड लाइनों की पूर्ति करता हो।

3. लिफाफा क्रमांक 03 (निविदा)

लिफाफा क्र. 03 में भी कार्य का नाम/टेण्डर नोटिस क्र.एवं दिनांक तथा निविदाकर्ता का नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए,जिसमें निविदाकर्ता द्वारा अपनी प्रस्तुत की गयी समस्त दरें एवं नियम की शर्तों के संदर्भ में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज स्वयं की कोई शर्तें इत्यादि प्रस्तुत नहीं की जावेगी तथा प्रत्येक पेज में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

निविदा कारों को प्रत्येक दरें नम्बरों तथा अक्षरों में कोड किया जाना चाहिए।

लिफाफा क्र. 03-

लिफाफा क्र.01 तथा 02 खोलने के उपरांत लिफाफा क्र.03 खोला जावेगा जिसमें दरें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होगी।

प्राप्त दरें सभी प्रकार से स्पष्ट होनी चाहिए जिसके किसी भी छुपी हुई शर्तें या कंडीशन नहीं होनी चाहिए।

समस्त लाईन स्टाफ का बीमा/ तथा दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी पूरी तरह से निविदा कर्ता की होगी।

आर.एम.सी.के साथ राजस्व का साझाः-

अनुबंध के तहत निविदा कर्ता को अपने प्राफिट (लाभ) से अनुपातिक रूप से कुछ रकम 5 या 10 लाख निगम प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त सकम की बैंक गारंटी देनी होगी जो अनुबंध पीरियेड की हो अथवा वार्षिक हो तथा प्रति वर्ष उसका नवीनीकरण किया जा सके।

यदि निविदाकर्ता निविदा में प्रस्तुत लाभ राशि का शेयर निगम को न दे पाता हो उस जमा बैंक गारंटी से निगम अपने रकम की भरपाई कर सकेगी,तथा अनुबंध समाप्ति के बारे में अग्रिम कार्यवाही कर सकेगी।

सुरक्षा निधिः-

सुरक्षा निधि के रूप में रू 5.00 लाख का डीडी/एफडी/या बैंक गारंटी स्वीकृत निविदाकर्ता को अनुबंध अवधि 10 वर्ष हेतु निगम में जमा करना होगा जो आयुक्त न.पा.नि.रायपुर के नाम पर होना चाहिए उक्त सुरक्षा निधि राशि अनुबंध समय समाप्त होने के उपरांत वापसी योग्य होगी।

यदि निविदाकर्ता अपने अनुबंध/ कार्य में अक्षम रहता है तो निगम उक्त सुरक्षा निधि को राजसात कर सकता है।

निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार

आयुक्त न.पा.नि./महापौर न.पा.नि.रायपुर को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्राप्त समस्त निविदाओं को बगैर किसी कारण के स्वीकार/अथवा अस्वीकार कर सकता है।

निविदा कर्ता के हस्ताक्षर

कार्यपालन अभियंता

नगर पालिक निगम,रायपुर

Introduction

उद्देश्य (Objective)

नगर निगम रायपुर निगम क्षेत्रांतर्गत सडकों में प्रकाश (स्ट्रीट लाईट) नेट वर्क में विद्युत उर्जा सेविंग हेतु उर्जा प्रबंधन फर्म जो इस क्षेत्र में विशेष्ज्ञ हो तथा जिनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन एवं संगठन हो के साथ अनुबंध करके स्ट्रीट लाईट परियोजना को लागू करेगी।

इसके अतिरिक्त नगर निगम रायपुर यह भी चाहेगी कि सफल उर्जा प्रबंधन कम्पनी निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त पोलों में लगे हुए स्ट्रीट लाईटों का मेन्टेनेन्स करेंगे।

नगर निगम रायपुर एक ऐसी न्यूनतम उर्जा प्रबंधन कम्पनी (बोलीदाता) को नियुक्ति करेगी जो उर्जा बचत के साथ ही साथ सडक बत्तियों के मेन्टेनेंस कार्य को ठीक प्रकार से कर सके।

इस प्रकार के समस्त प्रोग्राम जैसे उर्जा बचत स्ट्रीट लाईट मेन्टेनेस एवम अत्यधिक आधुनिक प्रणाली से उपरोक्त कार्यों की निगरानी कर सके ऐसी उर्जा प्रबंधन कंपनी को नियुक्त करेगी जो BOT (Built opration & Transfer) के आधार पर यह कार्य कर सके।

(concept) विचारः-

नगर पालिक निगम,रायपुर का यह स्पष्ट concept है कि उर्जा प्रबंधन कंपनी BOT (Built opration & Transfer) अपने संसाधनों में माध्यम है।

(1) सर्वप्रथम अधिक से अधिक विद्युत उर्जा का बचत करें।

(2) शहरी क्षेत्रों के समस्त विद्यमान स्ट्रीट लाईटों का मेन्टेनेन्स करे।

उपरोक्त दोनों concept को पूरा करने हेतु उर्जा प्रबंधन कंपनी अत्यन्त आधुनिक तरीके से उपकरणेंा का प्रयोग करें जिससे उपरोक्तानुसार उद्देश्य पूरा हो सके उसके लिए सभी प्रकार के अध्ययन प्रयोग, डेवलपमेंट तथा चलाने के तरीके उर्जा प्रबंधन कंपनी द्वारा ही किया जावेगा।

प्रस्तावित तकनीकी विनिर्देशः-

उर्जा प्रबंधन कप्पनियों को माइक्रो प्रोसेसर कन्ट्रोलर LMS माइक्रो कन्ट्रोलर एनर्जी सेविंग जिसके द्वारा विद्युत की तीव्रता मापने एवं उर्जा सेविंग के लिए निम्नांकित स्पेसिफिकेशन का उपकरण का प्रयोग करना होगा।

1. माइक्रो प्रोसेसर यूनिट 240 वोल्ट,50 हर्ट्ज के लिए सिंगल फेस एवं 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए 3 फेस युक्त होना चाहिए और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट द्वारा कम से कम 30 प्रतिशत विद्युत उर्जा की बचत सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

4. सेकंड पार्टी (बिडर) को एनर्जी सेविंग उपकरण रेपुटेड कंपनी जो ISO मानक स्तर की हो का उपयोग करेगा।

5. सेकंड पार्टी (बिडर) को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 तथा इंडियन इले. एक्ट 19 के अनुसार एनर्जी सेविंग हेतु एनर्जी सेंविंग का अधिष्ठापन करेगा तथा एनर्जी सेविंग को विद्युत निरिक्षक एवं CSPDCL के अधिकारियों से सर्टिफाइड करावेगा।

6. सेकंड पार्टी (बिडर) को फस्ट पार्टी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा जिसके अंतर्गत एनर्जी सेविंग अधिष्ठापन तथा एनर्जी सविंग फिटिंग्स स्थापित करेगा उनमें आवश्यक रख-रखाव के लिए तकनीकी कर्मचारी नियुक्त करेगा। प्रतिदिन सेविंग एनर्जी का पूरा रिकार्ड रखेगा।

7. सेकंड पार्टी (बिडर) को अपने सेविंग एनर्जी सेविंग यूनिट को प्रतिदिन चेक करेगा एवं कोई यूनिट यदि खराब होती है या काम नहीं करती है तो तत्काल ही उसे बदलेगा आदि निगम द्वारा ऐसी किसी यूनिट की जानकारी दी जाती है,तो जानकारी दिए जाने के 8 दिवस के भीतर उसे बदलने का कार्यवाही करेगा।

8. स्ट्रीट लाईट नेट वर्क में सिंगल फेस नेट वर्क में स्थापित एनर्जी सेविंग यूनिट की खराबी की वजह से यदि स्ट्रीट लाईट बन्द रहते हैं तो अन्य वितरण नेट वर्क प्रणाली का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेगा ताकि स्ट्रीट लाईट चालू हो।

9. सेकंड पार्टी (बिडर) की अनुबंध पीरियेड में लगाए गए समस्त एनर्जी सेविंग यूनिट की ओनरशिप रहेगी एवं एग्रीमेंट समाप्त होने के पश्चात वह ओनर शिप स्वमेव समाप्त हो जाएगी,तथा समस्त एनर्जी सेविंग यूनिट फस्ट पार्टी को हस्तांतरित हो जावेगा। समस्त एनर्जी सेविंग यूनिट को हस्तांतरण के समय पूरी तरह रनिंग कण्डीशन में होना आवश्यक है यदि कोई भी यूनिट खराब है या डेमेज है तो सेकंड पार्टी उसे सुधारकर अथवा बदल कर देगा हस्तांतरण के पूर्व फस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के साथ समस्त यूनिटों का अवलोकन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त यूनिट चालू अवस्था में रहे।

10. सेकंड पार्टी (बिडर) को स्ट्रीट लाईट नेटवर्क में एनर्जी सेविंग हेतु अत्यंत ही माडर्न आधुनिक टेक्नालॉजी वाले यूनिट का उपयोग करना होगा तथा उक्त यूनिट से संबंधित समस्त तकनीकी जानकारी सर्किट डायाग्राम आपरेशन सूचना एवं सर्विस मेनुअल की जानकारी प्रथम पार्टी को देना होगा।

11. सेकंड पार्टी (बिडर) द्वारा समस्त स्ट्रीट लाईट ऑन ऑफ हेतु एप्लायड वोल्टेज CSPDCL RMC के आपसी समझ अनुसार कार्य करना होगा। सेकंड पार्टी द्वारा सूर्यास्त के पश्चात एवं आधी रात उपरांत वोल्टेज की कमी करने संबंधी सभी प्रकार की स्वीकृति फस्ट पार्टी से प्राप्त करेगा। सभी सेविंग यूनिट को ऑटोमेटिक मोड एवं मेनुअल मोड में होना चाहिए।

19. अनुबंध में प्रदत्त समय सीमा में सेकण्ड पार्टी द्वारा समस्त शर्तें पूरी करने एनर्जी सेविंग करने के उपरांत भी निविदा में प्रदत्त राशि का भुगतान यदि फस्ट पार्टी समय पर नहीं करती है अथवा किसी भी प्रकार का विलंब होता है तो सेकण्ड पार्टी फस्ट पार्टी से किसी भी प्रकार के हर्जाने की मांग नहीं कर सकती है। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार का टैक्स या अन्य ड्यूटी सेकण्ड पार्टी द्वारा ही वहन किसया जावेगा।

20. फस्ट पार्टी RMC के पास सेकंड पार्टी (बोलीदार) से उर्जा की बचत या मरम्मत की लागत को प्राप्त करने की विफलता के खिलाफ बकाया राशि की वसूली का अधिकार सुरक्षित है। एनर्जी सेविंग यूनिट अथवा किसी भी अन्य विवाद के लिए जब से एनर्जी सेविंग का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया होगा अनुबंध के आधार पर (समस्त स्थानों के लिए) निश्चित राशि की कटौती कर सकेगा।

21. फस्ट पार्टी RMC के पास अनुबंध टर्मिनेट करने के अधिकार सुरक्षित रहेगा यदि सेकण्ड पार्टी निम्नलिखित किसी भी कार्य में विफल रहता है,तो-

(1) यदि सेकंड पार्टी अनुबंध में दर्शित मिनिमम एनर्जी 30 प्रतिशत की में विफल रहता है।

(2) यदि सेकंड पार्टी स्टैण्डर्ड मैथड द्वारा इन्स्टालेशन /ऑपरेशन एवे मेन्टेनेन्स में विफल रहता है।

(3) यदि सेकंड पार्टी इंडियन इलेक्ट्रोसिटी रूल (नियम) का पालन नहीं करता है।

(4) यदि सेकंड पार्टी CSPDCL के requirement को पूरी नहीं करता है।

(5) यदि वह फस्ट पार्टी के सुझावों/आदेशों को पूरी नहीं करता है।

(6) यदि वह साफ-सुथरे वातावरण में फस्ट पार्टी की तकनीकी डिमाण्ड को पूरी नहीं कर पाता है।

(7) यदि अनुबंध टर्मिनेट होने की अवस्था में सेकण्ड पार्टी द्वारा किसी भी हानि के लिए कोई मांग नहीं कर सकता है।

अनुबंध टर्मिनेट होने की दशा में सेकण्ड पार्टी द्वारा स्थापित समस्त एनर्जी सेविंग यूनिट के स्वामित्व का अधिकार सेकण्ड पार्टी का होगा।

22 सेकण्ड पार्टी द्वारा फर्स्ट पार्टी से किसी भी प्रकार के भुगतान की मांग तब तक स्वीकार नहीं की जा सकेगी,जब तक कि फर्स्ट पार्टी एनर्जी सेविंग यूनिट डिवाइस के कार्यक्षमता से भलीभांति संतुष्ट न हो जावे।

23. उर्जा की बचत की गणना निविदा में संलग्न पद्धति adopting proven methoddogy (protocal) द्वारा की जावेगा,जिसका उल्लेख आगे किया गया है।

24. उर्जा बचत की गणना करते समय नेटवर्क अथवा व्यक्तिगत (बीच बीच में लाईटों) के वोल्टेज को कटौती करके की जावेगी।

25. यदि दोनों पार्टियों के मध्य शर्तों एवं उनकी व्याख्या में किसी भी प्रकार का मतभेद हो तो ऐसी अवस्था में निगम/आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

26. स्वीकृत बिडर को डिपार्टमेन्ट में कार्यरत लगभग 50 अस्थायी कर्मचारी को काम पर रखने हेतु प्राथमिकता देनी होगी,तथा उसका वेतन भत्ता शासकीय नियमानुसार उन्हें प्रदान करना होगा।

27. स्वीकृत बिडर को निगम हाइड्रोलिक टावर उपलब्ध कराएगी जिसका रू 5000.00 प्रति माह किराया चार्ज दिया जाएगा एवं किसी भी प्रकार का मेन्टेनेन्स भी स्वीकृत बोलीदार को करना होगा।

28. नवीन पोलों की स्थापना होने पर भी संधारण कार्य कराना होगा।

29. विद्युत का टेरिफ रेट बढने पर उसी अनुपात में बचत की गणना की जाएगी।

स्वीकृत बोलीदाता।

आयुक्त

नगर पालिक निगम,रायपुर

Scope of Work

(कार्य का विस्तार)

सी.एस.पी.डी.सी.एल.द्वारा स्ट्रीट लाईट के आन/ऑफ संचालन हेतु निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त वार्डों के विभिन्न स्थानों में लगभग 300 जगहों पर स्विचिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें आर.एम.सी.द्वारा चिन्हित समस्त स्विचिंग सिस्टमों में स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर एनर्जी सेविंग यूनिट स्थापित कर संचालन करेगा।

शहर की समस्त स्ट्रीट लाईट का सामान्यतः नार्मल अवस्था में स्वीकृत निविदाकर्ता को सौंप दिया जावेगा स्वीकृत निविदाकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर एनर्जी यूनिट सी.एस.पी.डी.सी.एल. एवं आर.एम.सी.की लिखित अनुमति उपरांत स्थापित कर सकेगा।

सफल निविदाकार को नियुक्ति पत्र (एल.ओ.आई.)जारी होने के एक माह के भीतर समस्त स्ट्रीट लाइटों का मेन्टेनेन्स प्रारंभ करना होगा तथा तीन माह के भीतर समस्त स्विचिंग प्वाइंटों में एनर्जी सेविंग यूनिट स्थापित करना होगा। समस्त शर्तों के अधीन एनर्जी सेविंग यूनिट के संस्थापन के उपरांत जो विद्युत उर्जा की बचत होगी उसे ही सेविंग माना जावेगा। तथा सडकबत्ती उर्जा देयक के रूप में सी.एस.पी.डी.सी.एल.को जो भुगतान में बचत की वजह से कमी होगी,वह सेविंग कहलाएगी।

इसी बचत राशि को बिडर एवं आर.एम.सी.के मध्य अनुपातिक रूप से साझा करना होगा इसी एमाउंट को निविदा कर्ता अपनी निविदा में प्रस्तुत करेगा।

स्ट्रीट लाईटों के मेन्टेनेन्स के संबंध में समस्त टर्म एण्ड कंडीशन निविदा सूचना में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए है।

सफल निविदाकार स्ट्रीट लाईट मेन्टेनेन्स का कार्य 30 दिनों के भीतर ही आरंभ करना होगा तथा उक्त कार्य एल.ओ.आई.जारी होन की तिथी से अनुबंध में दर्शित अवधि तक के माध्यम से सी.एस.पी.डी.सी.एल.के सहयोग से करना होगा।

एनर्जी सेविंग यूनिटों की स्थापना के उपरांत आने वाले रिजल्ट जिसमें वांछित एनर्जी सेविंग हो रही है की शर्त पर ही मासिक बेसिस पर एनर्जी सेविंग के अनुपातिक भुगतान किए जा सकेंगे।

निविदा कर्ता के हस्ताक्षर

आयुक्त

नगर पालिक निगम,रायपुर

कार्य का विस्तार स्ट्रीट लाईट के व्यापक रखरखाव बाबत्।

यह स्ट्रीट लाईट के व्यापक रखरखाव के संबंध में है।

सफल निविदाकार को शहर में स्थित समस्त स्ट्रीट लाईट के प्वाइंटस फिटिंग्स स्विचिंग सिस्टम तथा नेटवर्क हस्तांतरित किया जावेगा उक्त हस्तांतरण सी.एस.पी.डी.सी.एल.के सहयोग से किया जावेगा जिसके अतर्गत सफल निविदाकर्ता को निम्नांकित कार्य वर्ष के 365 दिनों में (अनुबंध समाप्त) होने की अवधि तक करना होगा जिसके अंतर्गत रिमूवल ऑफ शार्ट लाइन (केबल अथवा नेटवर्क के) फिटिंग्स के आवश्यकतानुसार ऐसेसरीज जो बदलने योग्य होंगे।

फिटिंग्सों को साफ करना,जंक्शन बॉक्स,पाइप,मीटर,बॉक्सेस,कंट्रोल गियर बॉक्स,कान्टेक्टर टाइमर, कनेक्टर,बंसबार,वायर,कन्डक्टर,एम.सी.बी.फ्यूजेज,लाक्स Hlgs,doors,replacement at all spare of all type of fittings जैसे चोक,लैम्प,इग्नेटर केपेसिटर,इत्यादि पोलों में नंबरिंग करने का कार्य नयी फिटिंग्स लगाना अथवा उन्हें बदलने का कार्य।

समस्त विभागों जैसे सी.एस.पी.डी.सी.एल./विद्युत निरीक्षक/पोलिस/वाटर सप्लाई पी.एच.ई./पी.डब्ल्यू.डी. आदि विभागों के समन्वय/ सहयोग एवं उनकी आवश्यकतानुसार वर्ष भर में स्ट्रीट लाईट के प्रापर मेन्टेनेन्स एवं वर्किंग हेतु कार्य।

01-सफल निविदाकार को एल.ओ.आई.होने के 30 दिनों के भीतर स्ट्रीट लाईट मेन्टेनेन्स का कार्य प्रारंभ करना ही इसमें पूर्व लिखित में सी.एस.पी.डी.सी.एल. एवं निगम अथारिटी को सूचना देना होगा।

02-सफल निविदाकार द्वारा अपने कर्मियों (कर्मचारियों)से रात में सडक बत्ती का निरीक्षण कराएगा। एवं प्रातः प्रभारी आर.एम.सी. को रिपोर्ट करेगा तथा आर.एम.सी.के प्रभारी से विचार विमर्श उपरांत सी.एस.पी.डी.सी.एल. से विचार विमर्श उपरांत सुधार गेंग सडक बत्ती के बंद लाईटों को चालू करेगा।

03-सफल निविदाकर्ता का कर्मचारी संबंधित आर.एम.सी.इंजीनियर/प्रभारी से शिकायतों को प्राप्त करेगा उसके लिए समय निर्धारित करेगा यह कार्य प्रतिदिवस करना होगा।

04-कान्टेक्टर अपनी गेंग नियत करेगा जो कि सी.एस.पी.डी.सी.एल.स्टाफ के साथ मेन्टेनेन्स एवं रिपेयर का कार्य करेगी जिसके अंतर्गत प्रतिदिवस की अवस्था में विभाग से/वार्ड पार्षदों से /इंचार्ज से निगम के चेकर से प्राप्त शिकायतों को दूर करेगा।

05-ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा रात्रि में किए गए कार्यों इंस्पेक्शन रिपोर्ट को प्रतिदिन प्रातः इंचार्ज को प्रस्तुत करेगा उसके उपरांत ही कार्य प्रारंभ कर सकेगा।

06-स्ट्रीट लाईट नेटवर्क में कार्य करने हेतु आवश्यक परमिट प्रदाय करने की समस्त जिम्मेदारी कान्टेक्टर की होगी।

07-स्ट्रीट लाईट के मेन्टेनेन्स के अंतर्गत कान्टेक्टर द्वारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कुल 1956 एवं 2003 का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।

08-कान्टेक्टर को निगम के विद्युत विभाग कार्यालय में मेन्टेनेन्स शिकायत बुक रखनी होगी इसके साथ ही अपने कर्मचारी वायरमेन को सुपरवाइजर को एक वर्क बुक प्रदान करनी होगी जिसमें आर.एम.सी.द्वारा प्राप्त निर्देशों के परिपालन करना सुनिश्चित किया जावेगा।

09- कान्टेक्टर द्वारा मेन्टेनेन्स का कार्य लाईन चालू करके नहीं करेगा।

10-कान्टेक्ट को अनुबंध अवधि के दौरान 24 घंटे अवने कर्मचारी तैनात रखने होंगे किसी त्योहार अथवा अन्य कारणेां से यदि कोई नेटवर्क फेल होता है तो रू. 500.00 प्रतिदिवस कम से कम जुर्माना भरना होगा जो उसमें मासिक भुगतान से समायोजित किया जावेगा।

11- स्ट्रीट लाईट मेन्टेनेन्स के दौरान फिक्सिंग अथवा एसेसरीज बदलने हेतु बजाज/क्राम्पटन/हैवल्स/फिलिप्स /जी.सी./ओसराम/सूर्या की कंपनी की सामग्रियों का उपयोग निविदाकर्ता को करना होगा तथा स्विचगियर, मेनस्विच टाईमर में यह एल.एण्ड टी./ क्राम्पटन/स्वाइडर सीमेन्स/टेलीमशीन/हैवल्स की सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकेगा।

12-कान्टेक्टर द्वारा अपने श्रमिकों के बारे में समस्त जानकारी प्रस्तुत करेगा तथा विभाग की मांग पर लगाए जा रहे सामग्रियों की लेबोरट्ररी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने में आ रहे व्यय को कान्टेक्टर स्वयं वहन करेगा।

13- कान्टेक्टर द्वारा जो भी स्पेयर्स मेन्टेनेन्स हेतु प्रयोग करेगा वह पूरी तरह से फिट होने चाहिए लूज फिटिंग्स बर्दास्त नहीं किया जा सकेगा।

14-स्ट्रीट लाईटों के व्यापक मेन्टेनेन्स के अंतर्गत डी.ए.सी. के इंचार्ज इंजीनियर के निर्देशों अनुसार फाल्ट दूर करना रिपेयर करना,गार्डिग लगाना हैस्टिंग,सफाई रिवाइडिंग पोलों में रिप्लेसमेंट आफ खराब सामग्री इत्यादि।

15- स्ट्रीट लाईटों में व्यापक मेन्टेनेन्स के अंतर्गत लाइन फाल्ट खोजकर दुरूस्त करना,स्विच गियर की दुरूस्ती के अलावा टाइमर,एम.सी.बी.फ्यूज सर्किट इत्यादी बदलने का कार्य।

16-कान्टेक्टर को किसी भी मौसम में रात अथवा दिन में स्ट्रीट लाईट संबंघी शिकायतों का निराकरण करने के लिए तत्पर रहना है यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है कार्यपालन यंत्री के परिस्थिति अनुसार उचित दंड लगाने का अधिकार है किन्तु उक्त कार्य में लगातार लापरवाही हो रही हो तो अनुबंध टर्मिनेट करने का भी अधिकार है।

17- स्ट्रीट लाईट सर्किट फाल्ट/कट प्वाइंट फाल्ट स्विचिंग फाल्ट इत्यादि सुधरवाने की समस्त जिम्मेदारी कान्टेकअर की होगी जो कि सी.एस.पी.डी.सी.एल. के सहयोग से उक्त कार्य को कराऐंगे।

18-कान्टेक्टर द्वारा स्ट्रीट लाईटों में मेटल हैलाईड सोडियम लैम्प एवं अन्य लैम्प फूटे होने की दशा एवं न होने की दशा में वर्ष में दो बार अपने स्वयं के व्यय पर बदली करेगा तथा आवश्यकतानुसार इस प्रकार की समस्त फिटिंग्सों में सुरक्षा हेत कव्हर लगाने का इंतजाम भी स्वयं के व्यय पर करेगा।

लैम्प इत्यादि फूटे होने की वजह से जितनी भी लाईटें बन्द अवस्था में होगी उनकी गिनती बन्द लाईटों के अंतर्गत की जावेगी। यदि कान्टेक्टर आवश्यक समझता हेा तेा टूट-फूट की शिकायत एफ. आई.आर.पुलिस स्टेशन में स्वयं करा सकता है।

19-प्रतिदिन के मेन्टेनेन्स कार्यों हेतु कान्टेक्टर को सक्षम एजेन्सी सी.एस.पी.डी.सी.एल.के सब स्टेशन से आवश्यक परमिट प्राप्त करना होगा यदि ठेकेदार वैध परमिट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो कार्यपालन अभियंता विद्युत उसके भुगतान को तब तक नहीं करेगा जब तक कि ठेकेदार परमिट का विवरण प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।

20- कान्टेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि से मांगे जाने पर इन्हें वैध परमिट की जानकारी सी.एस.पी.डी.सी. एल. तथा आर.एम.सी. के अधिकारियों को प्रदान करनी आवश्यक है।

21-कान्टेक्टर द्वारा कार्य के दौरान सी.एस.पी.डी.सी.एल. तथा आर.एम.सी. अथवा किसी भी व्यक्ति,संस्था की प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है,उक्त नुकसान की समस्त जवाबदारी कान्टेक्टर की होगी तथा उक्त नुकसान की भरपाई कान्टेक्टर के जमा निधि राशि/बिल राशि से की जा सकेगी।

22-मौसम के अनुसार होने वाले परिवर्तन के अनुसार सूर्योदय/सर्यास्त की टाइम सेटिंग समय समय पर कान्टेक्टर द्वारा की जावेगी यदि नान सेटिंग की वजह से एनर्जी सेविंग में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए कोन्टक्टर जिम्मेदार रहेगा।

23-टूटी-फूटी लाइटें तथा जलने-बुझने वाली लाईटों की गिनती बंद लाईटों में की जावेगी जिसका प्रतिशत प्रति साप्ताहिक रूप से बंद लाईट में निकाला जावेगा।

24-कान्टेक्टर द्वारा विभागीय निर्देशानुसार समस्त कन्ट्रोल गियर बाक्सों को जो उनके अधिकार क्षेत्र की है को एक पर्टिकुलर कलर के पेन्ट से पेंट करावेगा एवं उसमें स्थल का नाम लोड नंबर इत्यादि का विवरण भी लिखेगा।

25-स्ट्रीट लाईट चालू रखने की प्रतिशत की चेकिंग के लिए ई.ई.या ए.ई.कान्टेक्टर के साथ इलाके दौरा कर सकते हैं जहां कम से कम 500 लाईटें उपलब्ध हों उक्त इलाके का निर्णय विभाग ले सकता है कि चेकिंग आकस्मिक रूप से की जावेगी जिसमें 95 प्रतिशत लाइटें जलती अवस्था में होनी चाहिए यदि वर्ष भर 95 प्रतिशत लाइटें विशिष्ट दौरा कृत इलाके में चालू अवस्था में पाई जाती है तो 6 प्रतिशत बर्निंग लाईटों की छूट इडिविजुअल प्राबलम की वजह से दी जा सकती है।

26-कान्टेक्टर द्वारा स्ट्रीट लाईट मेन्टेनेन्स में स्वयं का टूल्स/लेडर इत्यादि का प्रयोग करना होगा विभाग व्हीकल माउन्टेड हाइड्रालिक टावर प्रदाय किया जावेगा जिसका मंथली बेसिस पर रू. 5000.00 न्यूनतम प्रभार वसूल किया जावेगा तथा इसमें कोई मेन्टेनेन्स आता है तो इसकी जिम्मेदारी कान्टेक्टर की होगी व्यय कान्टेक्टर को ही वहन करना होगा।

27-विभाग द्वारा जारी प्रेस्क्राइब्स आवश्यक फार्मेट/रजिस्टर/आर्डर बुक इत्यादि की व्यवस्था कान्टेक्टर द्वारा की जावेगी जिसका कोई पृथक से चार्ज नहीं दिया जावेगा।

समय-समय पर नगर निगम,रायपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार रजिस्टर एवं रिकार्ड का मेन्टेनेन्स ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।

28-कान्टेक्टर द्वारा रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक रिकार्ड जो विभागीय दिशा निर्देश अनुसार बनाए जावेंगे को विभागीय निदेश पर विभाग को अवलोकन एवं कार्यों हेतु प्रस्तुत करना होगा।

29-विभागीय दिशा निर्देशों अनुसार कान्टेक्टर को स्ट्रीट लाईट के मीटर की रिडिंग लेनी होगी तथा उसका रिकार्ड प्रिसक्राइब्ड फार्मेट में अपने स्वयं के व्यय पर रखना होगा।

30- स्ट्रीट लाईटों के व्यापक मेन्टेनेन्स हेतु समस्त रिलेटेड कार्य कान्टेक्टर को करना होगा यदि सिस्टम में इम्प्रूव्हमेंट के लिए कोई ऐसा कार्य विभागीय कार्यपालन अभियंता (इले.) द्वारा कराया जाता है जो कि व्यापक मेन्टेनेन्स कार्यो में सम्मिलित नहीं है का भुगतान पृथक से आयटम दर अनुसार प्रदान किया जा सकेगा।

31-यदि यह देखा जाता है कि किसी विशिष्ट स्थल पर बार ट्यूक्सड अथवा अन्य लैम्प की टूट फूट हो रही है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर उसकी सुरक्षा के लिए जाली कव्हर प्रोवाइड करेगा परंतु यदि उसके बाद भी टूट फूट की कार्यवाही जारी रहती है तो उसकी जानकारी सक्षम जोनल इंचार्ज को देगा।

32-किसी त्योहार के मौसम में अथवा व्ही.आई.पी.के आगमन के दौरान विशिष्ट मार्गों चिन्हित स्थानों की सडकबत्ती 100 प्रतिशत चालू अवस्था में हो ऐसा सुनिश्चित किया जाना होगा यह कार्य कान्टेक्टर तथा उनके प्रतिनिधि को करना होगा।

33-जब भी सडकबत्तियों के संयुक्त निरीक्षण का निर्णय कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/ उप अभियंता द्वारा लिया जाता है तो कान्टेक्टर या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी अनिवार्य होगी।

34-कान्टेक्टर को जो पुरानी स्ट्रीट लाईटें मेन्टेनेन्स हेतु सौंपी जाती है वे समस्त स्ट्रीट लाईटें अनुबंध समाप्ति अवधि तक गारंटी पीरियेड में रहेंगी तथा अनुबंध समाप्ति उपरांत एजेन्सी द्वारा चालू अवस्था में सौंपी जानी होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

आयुक्त

नगर पालिक निगम,रायपुर

<u>विशिष्ट टर्म एवम् कण्डीशन</u>

<u>व्यापक मेन्टेनेन्स आफ स्ट्रीट लाईट</u>

01 कान्टेक्टर को स्ट्रीट लाईट मेन्टेनेन्स हेतु एक मेन्टेनेन्स सेल का गठन करना होगा जिसमें एक टेलीफोन कनेक्शन लेना होगा उक्त सेल में प्रेमाइसेस में बनाना होगा।

अ कान्टेक्टर को एक जिम्मेदार कर्मचारी की नियुक्ति मेन्टेनेन्स सेल में करेगा जो शिकायतों को दर्ज करे।

ब कान्टेक्टर को शिकायत ई–मेल के माध्यम से भी दर्ज करना होगा जिसके लिए ई–मेल ऐड्रेस स्वयं का तथा निगम का देना होगा उपरोक्त शिकायतों को दर्ज करने हेतु लगाए जाने वाले सभी उपकरण हमेशा चालू अवस्था में रहेगा यह सुनिश्चित करना होगा यदि यह देखा गया कि दो दिनों से अधिक यह सिस्टम खराब है तो कान्टेक्टर को अल्टरनेट व्यवस्था करनी होगी।

यदि उक्त सेवा में कोई त्रुटि होती है तो सिटी इंजीनियर द्वारा पेनाल्टी लगाई जावेगी जो अंतिम तथा मान्य होगी।

02 कान्टेक्टर द्वारा काम पर रखे गए समस्त लाइन स्टाफ का डाक्यूमेन्ट्री बुक रखना होगा तथा समस्त स्टाफ को माबाइल प्रदान करना होगा जिसकी प्रतियां विभाग को (आर.एम.सी.) प्रस्तुत की जानी होगी।

03 कान्टेक्टर द्वारा रखे गए समस्त टाइप के स्टाफ कर्मचारी का पता,फोन नंबर,मोबाइल आर.एम.सी. को प्रदान करना होगा।

04 कान्टेक्टर को प्रत्येक जोन हेतु एक सुधार गेंग मोबाइल वाहन के साथ प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक रखना होगा जो प्रत्येक जोन के जोनल इंचार्ज के साथ उचित तालमेल रखकर मेन्टेनेन्स कार्य सुचारू रूप से चलाएगा।

05 कान्टेक्टर द्वारा अपने लाइन स्टाफ को वर्दी,बैच तथा आईडेन्टीटी कार्ड प्रदान करेगा।

06 कान्टेक्टर सुरक्षा हेतु आवश्यक लायसेन्स तथा कर्मचारियों हेतु बीमा क्षतिपूर्ति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में रायपुर न्यायालय कार्य क्षेत्र माना जावेगा।

07 कान्टेक्टर सभी प्रकार के नियमों जैसे कर्मचारियों के कम्पनशेसन न्यूनतम मजदूरी भुगतान एप्रेन्टिस नियम ,श्रम नियम के अंतर्गत समस्त नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।

08 विभाग द्वारा कान्टेक्टर द्वारा मेन्टेनेन्स कार्यों में उपयोग कर रहे ऐसेसरीज सामग्रियों की समय समय पर चेकिंग करेगा तथा सामग्रियों सब स्टैण्डर्ड की होने पर उसे बदलने हेतु निर्देश प्रदान करेगा कान्टेक्टर को मेन्टेनेन्स कार्यो से फिलिप्स/ क्राम्प्टन/बजाज/जीई/सूर्या/ओसराम कंपनी की ही सामग्रियों का उपयोग करना होगा।

09 कान्टेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि हमें जो उसका लाइन स्टाफ विद्युत लाइन पर चढकर कार्य कर रहा है वह वायरमेन लायसेंसी हो तथा किसी सुपर वायजरी लायसेंसी कर्मचारी के दिशा निर्देश में कार्य संपादित कर रहा हो।

10 कान्टेक्टर द्वारा लाइनों/सडकबत्तियों के मेन्टेनेन्स के लिए जिस लाइन स्टाफ की नियुक्ति करता है तो उक्त कर्मचारियों के वायर मेन लायसेन्स एवं सुपर वायजरी लायसेंस की प्रतियां उल्लेखित इंस्पेक्टर (छत्तीसगढ राज्य एनर्जी डिपार्टमेंट) एवं सी.एस.पी.डी.सी.एल. को प्रस्तुत करेगा।

11. लाइन कार्यो का अर्थराइजेशन जो सी.एस.पी.डी.सी.एल. के पास है से प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

12. प्राइज में वृद्धि किसी भी मांग को संपूर्ण अनुबंध पीरियेड हेतु स्वीकार नहीं की जावेगी।

13 आर.एम.सी. द्वारा अनुबंध पीरियेड को 06 माह अधिकतम वृद्धि कर सकता है यह वृद्धि दरों/कार्यों के आपसी समझौते के तहत किया जा सकेगा।

14 कान्टेक्टर को प्रति 1000 लाईटों के मेन्टेनेन्स हेतु एक गेंग नियुक्त करना होगा उक्त गेंग की संख्या प्राप्त शिकायतों के आधार पर बढाई/घटाई जा सकती है जो आफिसर इंचार्ज से बातचीत उपरांत होगी प्रत्येक गेंग के पास विधिवत वायरमेन लायसेंस होना आवश्यक होगा तथा गेंग को बंद लाइटों से प्रतिशत से लिंक कर सुधार का नाम करवाना होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर आयुक्त

नगर पालिक निगम,रायपुर

पेनाल्टी

सडकबत्तियों की स्थिति का सर्वेक्षण प्रत्येक साप्ताहिक कार्य दिवस में विद्युत विभाग स्टाफ,कान्टेक्टर एवं संबंधित वार्ड में वार्ड पार्षद अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के साथ की जावेगी।

पेनाल्टी की कंडिकाएँ स्ट्रीट लाईट के सर्किट में आने वाले फाल्ट से बंद लाइटें एवं इंडीविजुअल बंद लाईटों की पेनाल्टी को दर्शाए अलग अलग होगी उक्त आपरेशन कार्य 15 दिवस के भीतर (एल.ओ.आई. जारी होने के 30 दिनों के भीतर) करना आवश्यक होगा उक्त बंद लाईटें सर्किटों में में पेनाल्टी की दशा प्रारूप एवं कंडिकाएँ निम्नानुसार होगी।

1 कान्टेक्टर को किसी भी स्ट्रीट लाईटों को 15 दिन से अधिक बंद अवस्था में नहीं रखना चाहिए यदि सर्वेक्षण चेकिंग के दौरान यह पाया जाताा है कि उक्त लाईट पिछले 15 दिनों से अधिक समय से बंद है तो ऐसे प्रत्येक बंद लाईटों हेतु रू. 50.00 प्रति स्ट्रीट लाईट प्रति सप्ताह का जुर्माना कान्टेक्टर द्वारा देय होगा।

2 कान्टेक्टर को किसी भी स्ट्रीट लाईट सर्किट (नेटवर्क) को 48 घण्टे से अधिक बंद रखने की अनुमति नहीं है सर्वेक्षण में यदि पाया जाता है कि आयुक्त सर्किट 48 घण्टे से अधिक बंद अवस्था में है तो प्रति सर्किट रू 100.00 प्रति दिवस की दर से जुर्माना देया होगा।

3 समस्त शहरों की कुल स्ट्रीट लाईटों का 6 प्रतिशत तक की लाईट बंद होती है तो वह उसकी परमिसिबल सीमा है उसमें कोई जुर्माना देया नहीं होगा,किन्तु यदि बंद लाईटों का प्रतिशत 6 से अधिक प्राप्त होता है तो पेनाल्टी रू 1000.00 प्रति प्रतिशत की दर से कान्टेक्टर से वसूल किया जावेगा।

4 यदि विभाग द्वारा कान्टेक्टर को कम्प्लेन किए जाने के 48 घण्टे के भीतर सुधार कार्य नहीं किया जाता है तो निम्नांकित दर से पेनाल्टी की वसूली की जावेगी।

   1 रू 10.00 प्रति स्ट्रीट लाईट प्रतिदिवस।

   2 रू 1000.00 प्रति सर्किट प्रतिस्विच।

   कम्प्लेन सुधार दिवस तक।

5 कान्टेक्टर द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती रहेगी यदि समीक्षा में कान्टेक्टर का कार्य उपयुक्त नहीं पाया गया तो अनुबंध तत्काल टर्मिनेट कर दिया जावेगा तथा आगे का कार्य किसी अन्य संस्था से कराया जावेगा यह कार्य स्वीकृत अनुबंध कर्ता के रिस्क तथा व्यय पर कराया जावेगा अर्थात अतिरिक्त राशि की भरपाई कान्टेक्टर को करनी होगी उसके अलावा उन पर जुर्माना भी किया जावेगा एवं भविष्य में होने वाले किसी भी निविदा में उन्हें भाग नहीं लेने दिया जावेगा उनका नाम काली सूचि में डाल दिया जावेगा।

6 ठेकेदारों को मांग अनुसार किसी भी वक्त कार्य करने हेतु अपना स्टाफ नियुक्त करना होगा। रात्रि में देर होने त्योहार इत्यादि की वजह से छुट्टी इत्यादि का कोई भी कारण या बहाना काम नहीं आवेगा यदि विभागीय मांग अनुसार ठेकेदार

कर्मचारी उपलब्ध कराने में सक्षम रहता है तो कम से कम रू 200.00 प्रति कार्य दिवस में जुर्माना प्रमाणित किया जावेगा जो उनके बिल में समायोजित होगा।

7 जोनल इंचार्ज (इले.) में निर्देशों के उपरांत भी यदि ठेकेदार लगातार 30 दिवस तक टावर लेडर मेन्टेनेन्स कार्य हेतु उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ठेकेदार के बिल से 30 प्रतिशत की कटौती जुर्माने के रूप में की जावेगी।

8 यदि पेनाल्टी के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो सिटी इंजि/कार्यपालन अभियंता द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा।

9 कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने हेतु समस्त औपचारिकताएँ बोलीदार को करनी होगी इसके लिए निगम किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करेगी।

यदि कान्टेक्टर को प्रमाणित जुर्माना उसके साझा शेयरिंग बिल में अधिक हो जाता है (किसी भी महिने में) तो आर.एम.सी.को यह अधिकार होगा कि अतिशेष जुर्माने की रकम आयुक्त नगर निगम ठेकेदार द्वारा जमा ई.एम.डी./एस.डी. बैंक गारंटी से वसूल कर लेवें।

अनुबंध समाप्त होने के 6 दिवस पूर्व ठेकेदार द्वारा निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्थित समस्त लाईटों का 94 प्रतिशत जलता रहना सुनिश्चित करेगा यदि उक्त प्रतिशत में लाईटे जलती नहीं पाई गई तो सुरक्षा निधि राशि का 25 प्रतिशत राशि जप्त कर ली जावेगीं एवं 94 प्रतिशत लाईटें चालू करने हेतु उन्हें 30 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा किन्तु यदि ठेकेदार द्वारा उक्त बढाए गए समय में भी 94 प्रतिशत लाईटें चालू नहीं की जाती है तो सुरक्षा निधि का 50 प्रतिशत राजस्व काट जी जावेगी तथा ठेकेदार का अनुबंध भंग कर उसे आगामी निविदा में भाग लेने नहीं दिया जावेगा। एवं उनका नाम काली सूचि में दर्ज किया जावेगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

आयुक्त

नगर पालिक निगम,रायपुर

रायपुर नगर पालिक निगम,रायपुर

विद्युत विभाग

बिलों (देयकों) की संख्या (विवरण)

कान्ट्रेक्ट की समयावधि (पे बैक पीरियेड) = 07 वर्ष

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>विवरण</th><th>रेट</th></tr>
<tr><td>01</td><td>स्ट्रीट लाईट के एनर्जी बिल में कोई बचत का प्रतिशत जो निविदाकार निगम को मासिक आधार पर प्रदान करेगी।</td><td>(अ) बचत का प्रतिशतः-
(ब) बचत में शेयरिंग का विवरण<table><tr><td>बिडर का शेयर</td><td>निगम का शेयर</td></tr><tr><td>%</td><td>%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>02</td><td>कार्बन क्रेडिट का शेयरिंग विवरण।</td><td><table><tr><td>बिडर का शेयर</td><td>निगम का शेयर</td></tr><tr><td>%</td><td>%</td></tr></table></td></tr>
</table>

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

आयुक्त

नगर पालिक निगम,रायपुर

मानिटरिंग वेरीफिकेशन तथा शेयरिंग (साझा) आफ सेविंग (निगरानी सत्यापन और बचत में हिस्सेदारी)

निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाते हूए स्ट्रीट सिस्टम एनर्जी सेविंग में निगरानी सत्यापन और बचत किया जाना क्रियान्वित किया जावेगा।

1 शहर में अवस्थित प्रत्येक स्ट्रीट लाईट पोल का संयुक्त सर्वेक्षण दोनों ही दल के प्रतिनिधियों आर.एम.सी. एवं बिडर के द्वारा सी.एस.पी.डी.सी.एल. के प्रतिनिधि के साथ किया जावेगा।

2 स्ट्रीट लाईट में सेविंग के वास्तविक सर्वेक्षण के लिए एक बेस लाईन तैयार किया जाना है तदनुसार प्रत्येक स्विचिंग प्वाइंट मं वॉटेज एवं खपत घण्टे अनुसार लगातार 7 दिनों तक खपत का रिकॉर्ड प्राप्त कर औसत निकाला जावेगा उक्त औसत बिना एल.एम.एस.सिस्टम से होगा।

3 उसी प्रकार (उपरोक्तानुसार) तरीके से एल.एम.एस. सिस्टम (सेविंग यूनिट लगाकर) सेविंग मोड में 7 दिनों का खपत निकाल कर औसत प्राप्त किया जावेगा।

4 उपरोक्तानुसार (बेस लाइन) आधार प्राप्त कर कुल वाटेज एवं घण्टों की गणना कर सेविंग की गई उर्जा का विवरण किलोवॉट हर्ट्ज (यूनिटों) में प्राप्त कर लिया जावेगा।

तथा वर्तमान में सी.एस.पी.डी.सी.एल.द्वारा अपनाए गए टैरिफ के हिसाब से बचत के रूप में बदल कर बचत की हिस्सेदारी तय की जावेगी।

उक्त फार्मुले के द्वारा प्राप्त बचत में साझा राजस्व का बंटवारा कान्ट्रेक्ट पीरियेड में अपनाया जावेगा।

कान्ट्रेक्ट पीरियेड की समाप्ति उपरांत बिडर के स्ट्रीट लाईट का समस्त इंस्टालेशन अच्छी/चलती अवस्था/चालू अवस्था में आर.एम.सी. का हैण्ड ओव्हर करनी होगी।

अधिकतम उर्जा बचत हेतु एजेन्सी द्वारा अपनाई विधि निम्नानुसार पद्धति अपनाकर बिडर (एजेन्सी) तथा आर.एम.सी. (नगर निगम) उर्जा की बचत में वृद्धि करना सुनिश्चित करेंगे तथा साझेदारी (राजस्व) को सुनिश्चित करेंगे।

1 अनुबंध के अनुसार एजेन्सी द्वारा सर्वप्रथम समस्त स्विचिंग सिस्टम में एनर्जी सेविंग पैनल स्थापित किया जावेगा तथा उसकी रीडिंग बाई पास मोड एवं एनर्जी सेविंग मोड में पृथक-पृथक रखकर क्रमशः एजेन्सी एवं आर.एम.सी. द्वारा निम्नांकित तरीके से की जावेगी।

अ सर्वप्रथम पैनल को नान सेविंग (बाय पास) मोड में रखकर मीटर का प्रारंभिक रीडिंग प्राप्त किया जावेगा यह रिडिंग लगातार सात दिवसों के लिए दोनों एजेन्सियों द्वारा प्राप्त कर नोट की जावेगी।

ब ठीक उसी प्रकार पैनल को सेविंग मोड में रखकर लगातार सात दिनों तक यह कार्य दोहराया जावेगा।

2 अ नान सेविंग मोड में प्रथम सात दिवस जो रीडिंग मापी जावेगी उसमें यह भी देखा जावेगा कि रीडिंग आकस्मिक तरीके से घट या बढ तो नहीं रहा है जैसे एकाएक खपत यूनिटों का बढना या कम होना तो नहीं हो रहा है। उसके पश्चात नान सेविंग मोड में निम्नांकित फार्मूले से औसत रीडिंग (खपत) प्राप्त किया जावेगा।

(सात दिवस की रिडिंग का जोड)

नान सेविंग मोड में प्रतिदिन रीडिंग का औसत = ------------------------

दिवस की संख्या

ब इसी प्रकार औसत उर्जा खपत सेविंग मोड में प्रति दिवस की रीडिंग के आधार पर प्राप्त करेगे उक्त सेविंग मोड में 10 दिनों की रीडिंग प्राप्त की जावेगी इस मोड में भी यह देखा जावेगा कि रीडिंग ।Abnormal तरीके से घट या बढ तो नहीं रही है जैसे अनेक फिक्सचर्स बंद रहने की दशा में ,सडकबत्ती फेस में एकाएक बढ जाने की दशा में या किसी भी प्रकार के फाल्ट आ जाने की दशा में ,चोक में लीकेज होने की वजह से इत्यादि। तदनुसार निम्नांकित फार्मूले द्वारा सेविंग मोड में रीडिंग प्राप्त की जावेगी।

(दस दिवस की रिडिंग का जोड)

सेविंग मोड में प्रतिदिन रीडिंग का औसत = ------------------------

दिवस की संख्या

उपरोक्तानुसार दोनों मोड में रीडिंग का औसत प्राप्त करने उपरांत सेविंग एनर्जी की गणना निम्नांकित तरीके से की जावेगी।

नान सेविंग औसत - सेविंग मोड औसत

सेविंग का प्रतिशत = ------------------------

N (नान सेविंग औसत रीडिंग)

N (नान सेविंग मोड रीडिंग)

S (सेविंग मोड रीडिंग)

ब यदि उपरोक्त आधार पर सेविंग डी.एम.सी.द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेविंग से अधिक प्राप्त होती है तो प्राप्त सेविंग के आधार पर गणना की जावेगी।

स उक्तानुसार प्रतिशत कम आगामी 6 माह हेतु मानी जावेगी किन्तु ये कि अगली पार्टी पुनः सेविंग का रीडिंग लेना चाहती है तो 6 माह पश्चात् यह प्रयोग दुहराया जा सकता है।

द यदि दोनों पार्टियॉ यह महसूस करती है कि एनर्जी सेविंग का वेलुएशन किसी अलग पद्धति से किया जाना चाहिए तो दोनों पार्टियॉ आपसी सहमति से 6 माह पश्चात् दूसरी पद्धति अपनाकर सेविंग की गणना कर सकती है।

इ एनर्जी सेविंग प्रत्येक स्विंचिंग पैनल में वहां की साइट कण्डीशन के हिसाब से पृथक-पृथक होगा तथा संबंधित पैनल में स्थित लोड के उपयोग अनुसार होगा।

फ बचत की गई उर्जा पैनल में प्राप्त हो रहे वोल्टेज तथा कनेक्टेड लोड पर आधारित होगा यदि कनेक्टेड लोड में वृद्धि होती है तो खपत यूनिटों में स्वमेव वृद्धि होगी।

(क) यदि किसी स्विचिंग प्वाइंट के टोटल नेटवर्क में कुछ लोड एकाएक फेल हो जाते हैं (वॉट प्वाइंट जलने से ,एक फेस के फ्यूज उड जाने इत्यादि कारणों से) या उक्त स्विंचिंग प्वाइंट में लाइन (पावर) फेल लंबे समय तक हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से यूनिटों की खपत कम हो जावेगी अर्थात सेविंग अधिक बताएगा ऐसी स्थिति में एजेंसी आर.एम.सी.बिडर को फाल्ट (खराबी) सुधारने हेतु निर्देश अथवा नाटिस प्रदान करेगा किंतु निर्देश नोटिस के उपरांत भी बिडर फाल्ट (खराबी) में सुधार नहीं करता है तो आर.एम.सी. को उसके बिल को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और वह पूर्व माह के हिसाब से ही सेविंग की गणना कर सकेगा।

(ख) एजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी है कि स्ट्रीट लाईट आन/आफ का समय छोडकर अन्य समय जलती न रहे (लाइन शार्ट होने की दशा में लाइटें दिन रात चालू अवस्था में रहती है) यदि ऐसी स्थिति आती है तो आर.एम.सी.एजेन्सी को सुधार हेतु निर्देश करेगा किंतु यदि सुधार नहीं हो पाता है तो आर.एम.सी.एजेन्सी के बिल को अस्वीकार करेगा और निम्नानुसार कार्यवाही करेगा।

3 अ एक बार पैनल सेवर मोड में लगाकर सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है तो एजेंसी सेविंग उर्जा में अपना शेयर बढाने का अनुरोध कर सकती है।

ब एजेन्सी अपने एनर्जी सेविंग बिल का दावा उन्हीं दिनों हेतु कर सकती है जबकि पैनल सेवन मोड में चल रहा हो।

स सेविंग मोड का बिल बढाने के दावा करने के उद्देश्य के लिए ऐसे सभी पैनल जो सेवर मोड में कार्य कर रहे है,जिसकी सेविंग क्रेडिटी महिने के अंत में चेकिंग की जाती है के साथ ही साथ साप्ताहिक रूप से ज्वाइंट रूप से (आर.एम.सी.एवं बिडर) तथा सी.एस. पी.डी सी.एल. के प्रतिनिधि में सब मीटर रीडिंग की जाती होगी।

द कुछ पैनलों में रीडिंग सेविंग मोड में रहते हुए माह के भीतर प्रारंभिक दिनों में लिए जावेंगे तथा कुछ पैनल में माह में अंतिम दिनों में।

इ प्रत्येक पैनल में कितनी एनर्जी की बचत हुई है उसका रिकार्ड नोट कर रखा जावेगा तथा इसी प्रकार नान सेविंग मोड में भी पैनल को रखकर एनर्जी खपत का रिकार्ड कर रखेंगे और निम्नांकित फार्मले द्वारा एनर्जी बचत का प्रतिशत प्राप्त करेंगे।

P =एनर्जी सेविंग का प्रतिशत प्रत्येक पैनल में

S = यूनिटों की कुल खपत पैनल के सेविंग मोड में रहने पर

N =यूनिटों की कुल खपत जब पैनल नान सेविंग मोड पर हो।

फ यूनिटों की खपत नान सेविंग मोड पर रखकर समस्त पैनलों में प्राप्त की जावेगी उसी प्रकार सेविंग मोड पर प्रत्येक पैनल को रखकर यूनिटों की खपत प्राप्त की जावेगी एवं उसी के आधार पर सेविंग यूनिट की गणना बिल के लिए की जावेगी यह गणना ज्वाइंट रूप से आर.एम.सी.एजेन्सी सी.एस.पी.डी.सी.एल.के प्रतिनिधि तय करेंगे।

अ-नान सेविंग मोड में खपत की गई यूनिटों की संख्या प्राप्त करने के उपरांत सेविंग मोड में प्राप्त (खपत) यूनिटों की संख्या से घटाएंगे तत्पश्चात् एजेन्सी का शेयर एवं बिडर के शेयर की गणना का अनुमानित पतिशत निम्नांकित अनुबंध अनुसार प्राप्त करेंगे।

ब-समस्त डिविजन हेतु लगाए गए पैनल में उपरोक्तानुसार फार्मेट में गणना प्राप्त कर संलग्न की जावेगी।

(1) उपरोक्तानुसार प्राप्त बिल (साझा बिल गणना का प्रतिशत) अनुमोदित अथारिटी में अनुमोदित करायी जावेगी।

(2) कुछ एप्रूव्ड बिल संबंधित एजेन्सी आर.एम.सी.अथारिटी को पेमेन्ट हेतु प्रेषित किए जावेंगे।

(3) बिलों का भुगतान अनुबंध में दर्शित टर्म एवं कंडीशन अनुसार उपयुक्त समयावधि के भीतर किया जावेगा।

04- यह तरीका समस्त निविदा (मेमोरेण्डम) एवं अनुबंध का हिस्सा है जिसे दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

95- **छत्तीसगढ राज्य में स्ट्रीट लाईट का प्रचलित टैरिफ-**

फिक्स्ड चार्ज :-	रू 40.00	प्रति किलोवॉट प्रतिमाह
एनर्जी चार्ज :-	रू 2.05	प्रति यूनिट

यदि उपरोक्त टैरिफ में विद्युत कंपनी द्वारा कोई बदलाव किया जाता है तो गणना परिवर्तित दरों के आधार पर की जावेगी।

06- (अ) वर्ष 2009-10 का विद्युत एनर्जी देयक :- रू 2,01,40,631.00 वार्षिक

(ब) वर्ष 2009-10 में स्ट्रीट लाईट मेन्टेनेन्स में व्यय :- रू 50,00,000.00 वार्षिक

(स)प्रायवेट 25 गेंग लेबर :- 18,00,000.00 वार्षिक

भुगतान हेतु चेकिंग रिपोर्ट

माननीय वार्ड पार्षदों द्वारा की गई चेकिंग रिपोर्ट

दिनांक	ट्यूब फिक्सचर्स का विवरण		सोडियम/एम.एच. फिटिंग का विवरण		सी.एफ.एल.फिटिंग का विवरण		टी-5 तथा अन्य फिटिंग का विवरण		चालू लाईटों का प्रतिशत	बंद लाईटों का प्रतिशत	रिमार्क
	चालू	बंद	चालू	बंद	चालू	बंद	चालू	बंद			

नोटः-माह की 15 तारीख तक उपरोक्तानुसार रिपोर्ट प्राप्त होना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में शेष रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कर ली जावेगी।

विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई चेकिंग रिपोर्ट

दिनांक	ट्यूब फिक्सचर्स का विवरण		सोडियम/एम.एच. फिटिंग का विवरण		सी.एफ.एल.फिटिंग का विवरण		टी-5 तथा अन्य फिटिंग का विवरण		चालू लाईटों का प्रतिशत	बंद लाईटों का प्रतिशत	रिमार्क
	चालू	बंद	चालू	बंद	चालू	बंद	चालू	बंद			

आयुक्त द्वारा नामित नागरिक (वरिष्ठ नागरिक)

दिनांक	ट्यूब फिक्सचर्स का विवरण		सोडियम/एम.एच. फिटिंग का विवरण		सी.एफ.एल.फिटिंग का विवरण		टी-5 तथा अन्य फिटिंग का विवरण		चालू लाईटों का प्रतिशत	बंद लाईटों का प्रतिशत	रिमार्क
	चालू	बंद	चालू	बंद	चालू	बंद	चालू	बंद			